भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1541
उत्तर देने की तारीख 04 दिसम्बर, 2024

निजी नेटवर्क प्रचालकों द्वारा प्रशुल्क में वृद्धि

1541. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में निजी नेटवर्क प्रचालकों द्वारा लगाए जा रहे प्रशुल्कों में वृद्धि पर ध्यान दिया है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की सभी वर्गों में प्रशुल्क बढ़ाने के लिए नेटवर्क प्रचालकों के बीच किसी मिलीभगत की जांच करने की कोई योजना है;
(ग) यदि हां, तो सरकार की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा कोई जांच शुरू करने की योजना है; और
(घ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि प्रशुल्कों में ऐसी वृद्धि विशेषकर डाटा प्रभार डिजिटल रूप में समावेशी राष्ट्र के मूल उद्देश्य के विरुद्ध जाते हैं और आम आदमी को प्रभावित करते हैं, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) जी हां, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड और वोडाफोन इंडिया लिमिटेड द्वारा टैरिफ में बढ़ोतरी की गई है।

(ख) से (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) भारत में दूरसंचार सेवा के लिए टैरिफ के विनियमन के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण है। मौजूदा विनियामक टैरिफ ढांचे के अनुसार, कुछ विशिष्ट सेवाओं को छोड़कर दूरसंचार सेवा के लिए टैरिफ फोरबियरेंस के अंतर्गत है। मौजूदा विनियामक प्रावधानों के अनुपालन के अध्यधीन, सेवा प्रदाता बाजार की स्थिति की अपनी समझ और अपने सर्वोत्तम वाणिज्यिक हित के आधार पर टैरिफ तैयार करने और पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं।

*****